न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2013
आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या : 2013/00146

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सोजत		1. अचलाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक:–10/9/2018

तहसीलदार रायपुर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी सोजत की अध्यक्षता में भू आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा गत दिनांक 28.05.1976 को ग्राम धीनावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 126/1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि अप्रार्थी को आवंटित हुई थी। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में आवंटी के नाम दर्ज हुई, जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी का नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है। आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। यह आवंटन शर्तो की अवहेलना है। इस कारण अप्रार्थी के नाम किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे एवं भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करावें

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अनुसार आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा अचलाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास को ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 126/1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जैर प्रार्थना पत्र वादग्रस्थ भूमि पर अप्रार्थी की काश्त दर्ज नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर न तो

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही काश्त की गई है। यह स्थिति राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन है, जिसके कारण अप्रार्थी अचलाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास को ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 126/1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 28.05.1976 को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी अचलाराम पुत्र वेलाराम जाति मेघवाल निवासी धीनावास को ग्राम धीनावास के खसरा नम्बर 126/1 रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 28.05.1976 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सोजत को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि को कब्जे राज लेवे। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार सोजत को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 10/9/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली